मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-3

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 24 नवम्बर, 2010 (अग्रहायण 3, 1932)

विधानसभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. पृच्छा

सदस्य चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने नियम 130 के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामले को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की।

प्रश्नकाल में ऐसी चर्चा उठाने का प्रावधान नहीं होने के संदर्भ में इसकी अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

विपक्षी सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी एवं व्यवधान किये जाने के कारण प्रश्नकाल में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सके।

(माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने गर्भगृह में आकर नारेबाजी की)

10.36 बजे सदन की कार्यवाही 30 मिनिट के लिए स्थगित होकर 10.58 बजे पुन: प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के सदस्यों ने अपने आसन पर खड़े रहकर नियम 130 के प्रस्ताव पर दी गई सूचना पर चर्चा की मांग की।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया किन्तु विपक्षी सदस्य सदन में शोरगुल करते रहे।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में 25 तारांकित प्रश्नोत्तर, नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 113 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 115 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

विधान सभा की कार्यवाही 11.01 बजे 11.30 बजे तक के लिए पुन: स्थगित होकर 11.31 बजे प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में पोस्ट मार्टम हेतु नई मर्चुरी न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति,
(2) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की शा.मा.वि.क्र.1 ग्वालियर को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(3) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की शा. कर्मचारी के 22 डी के पेंशनरी की रिकवरी की जाने,
(4) श्री पारसदादा सकलेचा, सदस्य की प्रदेश के महाविद्यालयों आदि की फीस कम किये जाने,
(5) श्री ब्रजराज सिंह, सदस्य की श्योपुर क्षेत्र में विद्युत संकट होने,
(6) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में सर्व शिक्षा अभियान की योजनाएं पूर्ण न होने,

(7) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी, सदस्य की राजगढ़ नगर में स्थित पुराने अस्पताल को बंद किये जाने,
(8) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की प्रदेश में चल रहे वाहनों की आधी लाईट काली न किये जाने,
(9) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) , सदस्य की इंदौर में ट्रकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाये जाने तथा
(10) श्री रणवीर सिंह जाटव, सदस्य की जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर स्थित शासकीय गोविन्द महाविद्यालय सेवढ़ा को बंद किये जाने.

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के सदस्यों ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग को लेकर गर्भगृह में आकर नारेबाजी की)

व्यवधान के बीच कार्यवाही जारी रही।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने -
(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 46वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2006-2007, तथा
(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 26 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिये,
पटल पर रखे।

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, आवास और पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल (संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 14 सन् 1998) की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 (दिनांक 1.4.2003 से 31.3.2004 तक) पटल पर रखा।

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का सत्ताईसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2007-2008
पटल पर रखा।

5. ध्यानआकर्षण

विपक्षी सदस्यों द्वारा सदन में व्यवधान के कारण ध्यानाकर्षण की सूचनाएं पढ़ी नहीं जा सकी।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य की खण्डवा जिले के -
(क) ओंकारेश्वर में यात्रियों से लिये जाने वाले यात्री कर बंद कराये जाने,
(ख) भगवंत सागर डेम से जसवाड़ी लोहारी ग्रामों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने,
(ग) नगर की पेयजल योजना के कार्य की जांच एवं निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने,
(घ) नगर के गरीब परिवारों एवं झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के लिये शासकीय आवासों का निर्माण कराये जाने,
(ङ) नगर में प्रतिभावान खिलाड़ियों हेतु प्रशिक्षक नियुक्त किये जाने,
(च) जिला चिकित्सालय में रेडक्रास की दुकान से गरीबों को दवाईयां उपलब्ध कराये जाने,
(छ) नगर में श्री 1008 दादाजी महाराज दरबार को शासकीय ट्रस्ट बनाये जाने,
(ज) संजय नगर एवं दादाजी वार्ड में पेयजल व्यवस्था कराये जाने,
(झ) शहर में संगीत महाविद्यालय खोले जाने,
(ञ) नगर के मध्य संचालित औद्योगिक इकाईयों को नगर के बाहर अन्यत्र स्थापित किये जाने,
(ट) नगर में संचालित स्लाटर हाउस को शहर के बाहर स्थापित किये जाने,
(ठ) पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना की क्षमता बढ़ाये जाने,
(ड) नगर से आबकारी विभाग के गोडाउन को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने, तथा
(ढ) स्वर्गीय किशोर कुमार के आवास का अधिग्रहण कर स्मारक बनाये जाने,

(2) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य की शिवपुरी जिले के -

(क) ग्राम दिनारा के हाट बाजार के पास हैण्डपंप खनन कराये जाने,

(ख) नरवर तहसील में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय खोले जाने,

(ग) नरवर तहसील में कचरे से बिजली बनाये जाने का संयंत्र स्थापित किये जाने,

(घ) पुरानी तहसील से एस.डी.ओ.पी. के कार्यालय तक सड़क निर्माण की स्वीकृति किये जाने,

(ङ) ग्राम पंचायत सीहोर में पेयजल योजना स्वीकृत किये जाने,

(च) नरवर मगरौनी क्षेत्र के मध्य कालेज खोले जाने,

(छ) ग्राम लालसिंह की मढ़िया में आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत किये जाने,

(ज) ग्राम मदारी में स्टाप डेम कम रपटा निर्माण किये जाने , तथा

(झ) ग्राम सुनारी में संचालित शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(3) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के शासकीय हाई स्कूल तिलैया का उन्नयन किये जाने,

(4) डॉ. बाबूलाल वर्मा, सदस्य की शाजापुर जिले के ग्राम अवन्तीपुर बड़ोदिया के बीच पुल निर्माण कराये जाने,

(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की मन्दसौर जिले के कोष्ठी जाति के व्यक्तियों को शासकीय नियुक्ति में आरक्षण दिये जाने,

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(2) श्री जयंत मलैया, आवास और पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 25 सन् 2010) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जयंत मलैया, आवास और पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 25 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, आवास और पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 26 सन् 2010) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, आवास और पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 26 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(4) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (निरसन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 27 सन् 2010) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (निरसन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 27 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(अध्यक्ष महोदय ने गर्भगृह में खड़े विपक्षी सदस्यों को अपने आसन पर जाकर बोलने के निर्देश दिये)

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 28 सन् 2010) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 28 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य का नाम चर्चा प्रारम्भ करने हेतु पुकारा गया किन्तु विपक्षी सदस्यों द्वारा व्यवधान करने एवं नारेबाजी किये जाने के कारण चर्चा नहीं हो सकी।

11.46 बजे विधानसभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2010 (अग्रहायण 4, 1932) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा